कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

क्रमांक/ 1240 /MPLRS/PMKISAN/2025 भोपाल, दिनांक 29/07/2025

प्रति,

कलेक्टर

जिला (समस्त)

मध्यप्रदेश।

विषय -प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त वितरण दिनांक 02/08/2025 को **"पीएम किसान दिवस"** के रूप में मनाये जाने हेतु।।

संदर्भ -सचिव, भारत सरकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली की अध्यक्षता में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस दिनांक 29/07/2025 में दिए गए निर्देश एवं अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 9-3/2025-FWS(Pt.1) दिनांक 28/07/2025

विषयान्तर्गत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत वर्ष में कुल राशि रूपये 6000/- तीन समान किस्तों में प्रदान की जाती है। संदर्भित निर्देशों के अनुसार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किश्त वितरण का कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिनांक 02/08/2025 को बाराणसी, उत्तरप्रदेश से किया जा रहा है। 20वीं किस्त वितरण दिवस को **"पीएम किसान दिवस"** के रूप में मनाया जाना है।

इस प्रकार योजनांतर्गत "पीएम किसान दिवस" हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए :-

1. माननीय विधायक/माननीय सांसद सहित अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधियों को जिला/ब्लॉक स्तर पर विधिवत आमंत्रित किया जाये।
2. जिला/ब्लॉक स्तर पर प्रोजेक्टर/बडी स्क्रीन के माध्यम से कार्यक्रम का प्रसारण किया जाए।
3. जिलों की ग्राम पंचायतों में कार्यक्रम के प्रसारण की व्यवस्था कर कार्यक्रम का प्रसारण किया जाए।
4. योजनांतर्गत पटवारियों को नियत ग्राम हेतु VNO (Village Nodal Officer) नामांकित किया गया है, अतः सभी VNO को विषयांकित कार्यक्रम में वर्चुअली सम्मिलित किया जाए।
5. VNO संबंधित कृषकों को भी कार्यक्रम में वर्चुअली सम्मिलित होने हेतु प्रेरित करेंगे एवं हितग्राहियों को किश्त प्राप्त करने हेतु ई-केवायसी (पीएमकिसान

मोबाईल एप, पीएमकिसान पोर्टल एवं सीएससी केन्द्र), आधार एव बैंक खाता लिंकिंग (संबंधित बैंक शाखा एवं इंडिया पोस्ट पेमेंटस बैंक) एवं पीएमकिसान पोर्टल पर स्टेटस अवलोकन करने संबंधी जानकारी प्रदान करेंगे।

6. कार्यक्रम से जुडने हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंस लिंक https://pmindiawebcast.nic.in का उपयोग किया जा सकता है।
7. स्थानीय समाचार पत्रों एवं सोशल मीडियो के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जाए।

(अनुभा श्रीवास्तव) 29/7/25

आयुक्त भू-अभिलेख

मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक/ 1240 /MPLRS/PMKISAN/2025 भोपाल, दिनांक 29/07/2025

प्रतिलिपि-

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन।
2. आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश की ओर निर्देशानुसार KVK, मण्डी, FPO आदि स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. संभागीय आयुक्त (समस्त संभाग) मध्यप्रदेश।

आयुक्त भू-अभिलेख 29/7/25

मध्यप्रदेश